

प्ररूप सं. 26थकक

[धारा 206क और नियम 31कगक देखिए]

वित्तीय वर्ष.....की जून/सितंबर/दिसंबर/मार्च (जो लागू हो उसे टिक करें) को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए धारा 206क के अधीन तिमाही विवरण (सभी शाखाओं के लिए समेकित विवरणी के रूप में दिए जाने चाहिए)

भाग क

- (i) व्यक्ति का नाम
- (ii) ¹[स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक]
- (iii) व्यक्ति का पता
- (iv) तिमाही के अंतिम दिन सावधि जमा* की कुल सं.

सत्यापन

मैं, प्रमाणित करता हूं कि भाग क और भाग ख में दिए गए सभी विवरण सही और पूर्ण हैं।

स्थान :

तारीख :

बैंककारी कंपनी/सहकारी सोसाइटी/पब्लिक कंपनी के प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रधान अधिकारी का नाम और पदनाम

(कार्यालय उपयोग के लिए)

रसीद सं. तारीख तिमाही विवरणी प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम और हस्ताक्षर (मोहर सहित)

.....

भाग ख

(कंप्यूटर मीडिया पर)

वित्तीय वर्ष के को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए धारा 206क के अधीन तिमाही विवरणी ।

- (i) व्यक्ति का नाम
- (ii) ¹[स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक]
- (iii) व्यक्ति का पता
- (iv) तिमाही के अंतिम दिन सावधि जमाओं की कुल सं.
- (v) सावधि जमाओं की सं. का अलग-अलग ब्यौरा (कृपया प्रत्येक शाखा के लिए अलग ब्यौरे दें)

1. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से "स्थायी खाता संख्यांक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

